# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

## :: आदेश ::

क्रमांकः–17 / अ–19(3) / 2017–18 / 1384. बैतूल दिनांक 07 / 02 / 2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल के पत्र क्रमांक–स्टेनो / 5037 दिनांक 24–8–2017 द्वारा, दक्षिण वनमण्डल के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाने हेतु वनमण्डल की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड मुलताई, भैसदेही, आमला, प्रभातपट्टन, आठनेर एवं आंशिक विकासखण्ड भीमपुर, घोड़ाडोंगरी व बैतूल में 300–300 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमण्डल के नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार, वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल / भैसदेही / भैसदेही एवं शाहपुर से प्रतिवेदन आहूत किया गया।

2– उक्त संबंध में नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा जॉच उपरांत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा मासोद स्थित खसरा नंबर 709 रकबा 94.049 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 711 रकबा 78.307 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में विधिवत् उदघोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा वर्ष 2016–17) के अनुसार मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 709 रकबा 94.049 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 711 रकबा 78.307 हेक्टेयर भूमि छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज होने एवं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त खसरा नंबर की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने हेतु अनापत्ति दिए जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार मुलताई तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांरित करने की अनुशंसा की गई थी।

(3)– नायब तहसीलदार मुलताई / अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मुलताई द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया कि, खसरा प्रति के अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज है, परन्तु अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उपरोक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है। वर्तमान खसरा एवं अधिकार अभिलेख में अंकित मद में एकरूपता नहीं होने व अधिकार अभिलेख में दर्ज घॉस मद की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने से, भविष्य में घॉस / चरनोई मद की भूमि की आवश्यकता होने पर इस मद की भूमि उपलब्धता में होने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदित प्रयोजन हेतु अन्य मद की भूमि का चयन करके हस्तांतरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई को प्रत्यावर्तित किया गया।

(4)– नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 707 रकबा 95.400 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 708 रकबा 80.426 हेक्टेयर (कुल 175.826 हेक्टेयर) मद पहाड़ चट्टान की भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु चयन करके, उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

(5)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा मासोद स्थित खसरा नंबर 707 रकबा 95.400 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 708 रकबा 80.426 हेक्टेयर भूमि चट्टान मद मे दर्ज है तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(6)– दिनांक 18–11–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत मासोद की बैठक में, मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 707, 708 रकबा क्रमशः 95.400 तथा 80.426 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

(7)– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) के जॉच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए, मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 707 रकबा 95.400 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 708 रकबा 80.426 हेक्टेयर (कुल रकबा 175.826 हेक्टेयर) मद पहाड़ चट्टान को, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गई है।

3– म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात–नजूल/99 दिनांक 27–1–2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक –7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया हैं। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः–2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का एवं शासकीय विभागो को भूमि अंतरण के प्रकरणो का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, ग्राम मासोद तहसील मुलताई स्थित पहाड़ चट्टान मद के खसरा 707 रकबा 95.400 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 708 रकबा 80.426 हेक्टेयर (कुल रकबा 175.826 हेक्टेयर) भूमि, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग (वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल ) को निम्नानुसार शर्तो के अधीन के अधीन हस्तांतरित की जाती हैः–

(1)– हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)– भूमि पर प्रस्तावित वृक्षारोपण का कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तो के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) शर्तो का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।

(मूलचन्द्र वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:– 17/ अ–19(3)/2017–18/ 1384 बैतूल दिनांक 17/02/2018

प्रतिलिपिः–

1– वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा0) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ ।

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर सूचनार्थ।

3– नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

19/2/18 8/2/18